(b) whether the trainees have alleged that the institute has been made autonomous to satisfy the vested interests and have resisted the Government's decision to make the institute an autonomous body;

(c) the reasons for making this institute an autonomous body; and

(d) safeguard provided for avoiding misappropriation of funds?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) to (d) The National Institute for Visually Handicapped, Dehra Dun, was converted into a registered society in October 1982. This step was taken to promote faster growth of the Institute providing for greater freedom of action in construction of building, recruitment of staff etc. The Governing Council of the Institute is headed by the Secretary, Ministry of Social Welfare and includes representatives of the Ministries of Health, Education, Labour and the representatives of Government of Uttar Pradesh. There is also provision to include experts, Social Workers and representatives of leading voluntary organisations in the Governing Council. The Institute has adopted the same financial rules and regulations as applicable to Government funds. The Institute's accounts are also subject to audit by the Comptroller & Auditor General of India and the internal audits of the Ministry. There is no cause for any apprehension relating to misappropriation of funds. The allegations of the trainees in this regard are baseless.

दिल्ली में हुई "असली नकली" नामक प्रदर्शनी

4279. **श्री शान्तुभाई पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में "असली नकली" नामक एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी जिसमें असली तथा नकली औषधों से प्रसाधन सामग्री तथा अन्य अनेक वस्तुओं के नमूने प्रदर्शित किये गये थे; और

(ख) बाजार में बड़े पैमाने पर बिक रही नकली/मिलावटी वस्तुओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) देश में नकली औषधियों के निर्माण और बिक्रम को रोकने के लिए हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं:—

1. नकली औषधियों की समस्या से निपटने के लिए और उपयुक्त उपायों की व्यवस्था करने के लिए 1982 में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित किया गया ।

2. सरकार ने घटिया और नकली औषधियों के निर्माण बिक्री और वितरण की समस्या को हल करने के उपाय सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया था और उसकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है ।

3. राज्य सरकारों को नकली औषधियों की समस्या से निपटने के लिए

ग्रासूचना-एवं-विधि-तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

4. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन देश में नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री की रिपोर्टों पर नजर रखता है। जब भी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को सावधान कर दिया जाता है और ऐसी रिपोर्टों की जांच में उनकी सहायता की जाती है।

5. राज्य औषध नियंत्रण संगठन नकली औषधियों के निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ अभियोग चला रहे हैं जब भी नकली औषधियों के निर्माताओं और विक्रेताओं का पता लगता है तो केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के जोनल कार्यालय भी उनके विरुद्ध अभियोग चलाते हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में एक जनस्वास्थ्य केन्द्र के अधीन जनसंख्या

4280. **श्री हरीश चन्द्र दत्त तुलतानपुरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विकास खण्ड में विद्यमान एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने समूचे क्षेत्र की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है; और

(ख) यदि हां तो पर्वतीय क्षत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवायें बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) ग्रामीण लोगों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक 30000 ग्रामीण आबादी के लिए चरणबद्ध रूप से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये जब कि इस समय 80,000 से 1,00 000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इस मानदण्ड को पहाड़ी तथा जनजातीय इलाकों की 20,000 ग्रामीण आबादी के लिए और शिथिल कर दिया गया है।

ढुलाई के दौरान रास्ते में माल के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर दावे

4281. **श्री भीम सिंह** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को ढुलाई के दौरान रास्ते में माल के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर दावों का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए दावों में वर्षवार कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ा;

(ग) क्या यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) जी हां। फिर भी हानि क्षति/ह्रास से उद्भूत क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान की रेलों की दायिता का निर्धारण भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।